इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 02/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम व पुलिस/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन्स, पत्थर गिरजा के सामने जिसमें राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज (वर्तमान स्थानान्तरित भवन स्थित है) पर से एम0 जी0 मार्ग सौन्द्रयीकरण से सम्बन्धित ठेकेदार के एंव कब्जे दारो से सेड एंव झोपड़ियो (लगभग 20) को हटवाते हुए सरोजनी नायडू मार्ग पर तथा थार्नहिल रेाड (दयानन्द मार्ग) पर हिन्दू हास्टल चौराहे तक अतिक्रमण हटवाया गया इस कार्यवाही के दौरान सड़क पटरी पर कब्जा कर 01 टिन सेड, 08 टायलेट, 01 बैरिकेटिंग 01 रैम्प, 06 भट्टी, 05 चबूतरा, 01 कोठरी, 01 अस्थाई कब्जा, 03 काउन्टर,फलमन्डी, 05 चाय नाश्ते की दुकान, सड़क पटरी स्थित 02 गाय व अन्य जानवरो के आवास आदि कुल मिलाकर 54 अतिक्रमण हटाये गयें और सड़क पटरी पर रखी गयी सामाग्रिया हटायी गयी नगर निगम द्वारा रूपया 7300.00 जुर्माने के रूप में वसूला गया।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से विशेषकार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय एवं श्री जयराम मौर्य,अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) श्री एस0 के0 मिश्र0 व (तृतीय) श्री विकास यादव,नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार,एवं श्री पीयूष मोहले के अतिरिक्त थाना सिविल लाइन्स की पुलिस फोर्स, पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल व पुलिस बल मौजूद रहे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जोन 01 जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में अनाधिकृत निर्माणो के विरूद्ध चलाये गये अभियान में कुल 08 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन सं0 02 व 04 जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में 02 चालान 23 नोटिस निर्गत की गयी। ।

जोन सं0 03 एवं 06 जोनल अधिकारी श्री जयराम मौर्य के नेतृत्व 03 चालान सहित 09 नोटिस निर्गत करायी गयी।

जोन सं0 05 (झूँसी) में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव द्वारा 03 चालान की कार्यवाही की गयी। इस प्रकार कुल 08 चालान, 40 नोटिस जारी की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता,क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहें।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः— सम्पादक— समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

02.06.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क